(b) Complaints related to Traffic during the Last Three Years Till 26.2.96

Sl. No.	Year	Nature of complaints		Total	Filed	Disposed off Action taken		Pending
		Misbehaviour/ harassment	Malpractice			Major Punishment	Minor Punishment	
1.	1993	570	39	609	609	—	—	—
2.	1994	430	72	502	489	—	4	9
3.	1995	425	74	499	441	—	—	58
4.	1996 (upto 25.2.96)	86	6	92	44	—	—	48

नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा

690. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आलू तथा प्याज आदि जैसे नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का कोई विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) से (घ) 1.1.95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार नष्ट हो जाने वाले पदार्थों के भंडारण हेतु 85.77 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले करीब 3167 प्रशीतन भंडार थे। इनमें से 76.11 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले 1909 प्रशीतन भंडार केवल आलू के भण्डारण के लिए थे। हालांकि फल व सब्जियों, दूध से बनी वस्तुओं, मांस, मछली पाल्ट्री आदि समेत नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भण्डारण हेतु प्रशीतन सुविधाओं की सही कमी का पता लगाने हेतु कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन आलू के लिए प्रशीतन सुविधाओं की तुलना में मांस, पाल्ट्री और दूध से बने पदार्थों के लिए प्रशीतन सुविधाएं कम हैं। निजी क्षेत्र द्वारा प्रशीतन भंडार स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कुल प्रशीतन भंडारों में से 85% भंडार निजी क्षेत्र में हैं।

चुनाव में धनशक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून

691. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनाव में धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कानून मनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कानून कब तक बना लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन): (क) से (ङ) चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (1) को हटाने की अनुशंसा की है। 24.2.1996 को हुई एक बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनाव सुधारों से संबंधित कतिपय अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया था। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

Non-Political persons provided with 'Z' category security

692. SHRI SANJAY DALMIA:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the non-political persons

who have been provided 'Z' category security; and

(b) the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTE RAZI): (a) and (b) Security is being provided based on threat perception. It is not desirable to give names of the protected persons in the interest of their security.

Project work under Contract Labour System

693. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state: (a) whether project work is still being undertaken under Contract Labour System in the corporate offices under his Ministry in various States;

(b) the details of those states where works are being executed through contractors;

(c) the states where Contract Labour System has since been abolished; and

(d) what are the other details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) The abolition of Contract Labour System under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 is envisaged on the basis of occupations in individual establishments and not in geographical units.

मध्य प्रदेश में ताज ट्रेपोजियम लगाए जाना

694. **श्री अजीत जोगी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में ताज ट्रेपोजियम और दून घाटी में डीजल जेनरेटिंग सेट लगाए जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) क्या ये सेट डीजल चालित वाहनों की तुलना में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कम अहितकर हैं; और

(ग) यदि हां, तो जब इन क्षेत्रों में डीजल चालित वाहनों के चलने पर प्रतिबंध नहीं है तो इन सेटों पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरणीय और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ताज समलंब में औद्योगिक उपयोग हेतु डीजल जनित्र सेट का उपयोग न करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है। इन सेटों का उपयोग दून घाटी के उद्योगों में भी नहीं किया जाता है। ताज समलंब में उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं और मध्य प्रदेश का कोई भाग इसमें नहीं आता है।

(ख) और (ग) डीजल से चलने वाले वाहनों की संचालन क्रियाविधि डीजल जनित्र सेटों से भिन्न होती है। साथ ही डीजल जनित्र सेटों से होने वाला प्रदूषण स्थायी स्रोत जैसे होते हैं जबकि डीजल से चलने वाले वाहनों प्रदूषण के स्रोत अस्थायी होते हैं। अत: इन दोनों प्रणालियों से होने वाला प्रदूषण एक समान नहीं होता है।

Vacant post in the AGMU Cadre

695. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of Home AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of posts in the rank of DIG/IG in the AGMU Cadre which are lying vacant in each State and since when;

(b) what are the reasons of non-filling up of these posts; and

(c) by when these are likely to be filled up;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) to (c) All the posts in the level of DIG/IG in AGMU Cadre except the post of IG, Mizoram are filled up as on date. The post of IGP, Mizoram became vacant with effect from 13.1.1996. The post is likely to be filled up by 1.5.1996.

Steps to maintain peace along Indo-China border

696. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: (a) whether Governmet are taking steps to maintain peace and tranquility along the Indo-China border; and

(b) if so, the steps taken by both the countries (India and China) in that direction in recent months?